न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
21/2022

तारीख फैसला
9.09.2023

उनवान

1— रतनलाल आत्मज धन्नालाल जाति माली निवासी पाड़लिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादी की ओर से — श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 181 व पुराना 168 के खसरा नम्बर 197 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 की 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0.97 हेकटर कुल 5 किता की 2.39 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर आनन्दीलाल पुत्र धन्ना जाति माली अंकित हो गया है जो गलत है। ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 241 व पुराना 211 पर खसर नम्बर 158/595 की 0.06 हैक्टर , खसरा नम्बर 298 की 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0. 99 हेक्टर , खसरा नम्बर 378 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 379 की 0.09 हेक्टर , कुल 5 किता की 2.37 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली अंकित हो गया है जो गलत है। तथा ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि खाता नं0 नया 242 व पुराना 212 के खसरा नम्बर 733 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 735 की 0.35 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.65 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली अंकित हो गया है। जो गलत है। इसी प्रकार ग्राम चार तहसील दीगोद की जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 में वादी रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली व मोहन सिंह

ч6

व शामलाती खाते व कब्जे काश्त की खाता संख्या 75 नया, पुराना 69 पर खसरा नम्बर 9 की 0.41 हेक्टर भूमि पर वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज हो गया है जो गलत है। वादी का नाम रतनलाल है वादी की वोटर आई डी, राशन कार्ड, निर्वाचन नियमावली , पेन कार्ड, जोब कार्ड, जनआधार कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में वादी का नाम रतनलाल आत्मज धन्नालाल ही अंकित है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनलांक 11.02.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–1–कि ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 181 व पुराना 168 के खसरा नम्बर 197 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 की 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0.97 हेकटर कुल 5 किता की 2.39 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम आनन्दीलाल पुत्र धन्ना जाति माली दर्ज है। वादी का नाम आनन्दीलाल पुत्र धन्ना जाति माली के स्थान पर रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 241 व पुराना 211 पर खसर नम्बर 158/595 की 0.06 हैक्टर , खसरा नम्बर 298 की 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.99 हेक्टर , खसरा नम्बर 378 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 379 की 0.09 हेक्टर , कुल 5 किता की 2.37 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना जाति माली दर्ज है। वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

3– ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि खाता नं0 नया 242 व पुराना 212 के खसरा नम्बर 733 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 735 की 0.35 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.65 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना जाति माली दर्ज है। वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना जाति माली के स्थान पर रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

4– ग्राम चार तहसील दीगोद में वादी व मोहन सिंह के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की खाता संख्या 75 नया, पुराना 69 पर खसरा नम्बर 9 की 0.41 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना जाति माली दर्ज है। वादी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना जाति माली के स्थान पर रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का रिपोट अनुसार रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी पाडलिया के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित ग्रामवासियो से जांच की गई। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पाडलिया में वादी का नाम बचपन में आनन्दीलाल था। वादी तथा ग्राम वासियों ने अवगत कराया कि स्कूल में भी आनन्दीलाल नाम दर्ज था, वादी को रतनलाल तथा रामरतन के

नाम से भी जानते पहचानतें है। वर्तमान में आधार, कार्ड वोटर आई, पेन कार्ड तथा बैंक पास बुक में नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल दर्ज है। ग्राम पाडलिया में खाता संख्या 202 में खसरा संख्या 698 की 0.12 हे0, 736 की 0.51 हे0 किता 2 रकबा 0.63 हे0 में खातेदार रतनलाल पुत्र धन्नालाल दर्ज रेकार्ड है। आन्दीलाल, रामरतन तथा रतनलाल एक ही व्यक्ति है।

4. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के खाते में खाता नं0 नया 181 व पुराना 168 के खसरा नम्बर 197 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 की 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0.97 हेकटर कुल 5 किता की 2.39 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर आनन्दीलाल पुत्र धन्ना जाति माली अंकित हो गया है जो गलत है। ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 241 व पुराना 211 पर खसर नम्बर 158/595 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 298 की 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 379 की 0.09 हेक्टर, कुल 5 किता की 2.37 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली अंकित हो गया है जो गलत है। तथा ग्राम पाडलिया में वादी व अन्य सहखातेदारान की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि खाता नं0 नया 242 व पुराना 212 के खसरा नम्बर 733 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 735 की 0.35 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.65 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली अंकित हो गया है। जो गलत है। इसी प्रकार ग्राम चार तहसील दीगोद की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में वादी रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली व मोहन सिंह के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की खाता संख्या 75 नया, पुराना 69 पर खसरा नम्बर 9 की 0.41 हेक्टर भूमि पर वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली के स्थान पर रामरतन पुत्र धन्नालाल जाति माली दर्ज हो गया है जो गलत है। वादी का नाम रतनलाल है वादी की वोटर आई डी, राशन कार्ड, निर्वाचन नियमावली , पेन कार्ड, जोब कार्ड, जनआधार कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में वादी का नाम रतनलाल आत्मज धन्नालाल ही अंकित है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनलांक 11.02.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम पाडलिया की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 241, 181, 241242 एवं ग्राम चार की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 75 , आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड, रोजगार गारन्टी कार्ड की प्रति, बैंक डायरी छाया प्रति पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी पाड़लिया दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पाडलिया के खाता नं0 नया 181 व पुराना 168 के खसरा नम्बर 197 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 की 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0.97 हेकटर कुल 5 किता की 2.39 हेक्टर भूमि , खाता नं0 नया 241 व पुराना 211 पर खसर नम्बर 158/595 की 0.06 हैक्टर , खसरा नम्बर 298 की 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 की 0.99 हेक्टर , खसरा नम्बर 378 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 379 की 0.09 हेक्टर , कुल 5 किता की 2.37 हेक्टर भूमि , खाता नं0 नया 242 व पुराना 212 के खसरा नम्बर 733 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 735 की 0.35 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.65 हेक्टर भूमि एवं इसी प्रकार ग्राम चार तहसील दीगोद की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में खाता संख्या 75 नया, पुराना 69 पर खसरा नम्बर 9 की 0.41 हेक्टर भूमि में वादी का नाम रतनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी पाड़लिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/09/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)